

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II,
SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)**

ORDER

New Delhi, the 1st July, 2015

S.O. 1790 (E)- Whereas the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015 (22 of 2015) (hereinafter referred to as the Act) received the assent of the President on 26th May, 2015;

And whereas sub-section (3) of section 1 of the Act provides that save as otherwise provided in the Act, the Act shall come into force on the 1st day of April, 2016;

And whereas sub-section (1) of section 3 of the Act provides for charging of tax on undisclosed foreign income and asset for every assessment year beginning on or after the 1st day of April, 2016;

And whereas under sub-section (1) of section 3 of the Act, undisclosed foreign income and asset of the previous year relevant to the assessment year commencing on or after the 1st day of April, 2016 is chargeable under the Act;

And whereas the 'previous year' as defined in clause (9) of section 2 of the Act means a period of twelve months immediately preceding the assessment year;

And whereas section 59 of the Act relating to declaration of undisclosed foreign asset provides for making declaration by any person, on or after the date of commencement of the Act but on or before a date to be notified by the Central Government in the Official Gazette, in respect of any undisclosed asset located outside India and acquired from income chargeable to tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) for any assessment year prior to the assessment year commencing on the 1st day of April, 2016;

And whereas section 60 of the Act provides for charging of tax on undisclosed foreign asset declared under section 59 on the value of such asset on the date of commencement of the Act;

And whereas the Act passed by the Parliament received the assent of the President on the 26th day of May, 2015 and therefore the provisions of this Act cannot be given effect prior to the 26th day of May, 2015 irrespective of the fact that the assessment

year beginning on the 1st day of April, 2016 relates to the previous year commencing on the 1st day of April, 2015;

And whereas a difficulty has arisen in interpreting the expression 'date of commencement of the Act' and giving effect to the provisions of section 59 and section 60 which may be construed as 1st day of April, 2016, whereas the chargeability of tax under the Act is for assessment year commencing on or after the 1st day of April, 2016 relevant to the previous year commencing on or after the 1st day of April, 2015;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 86 of the Act, the Central Government hereby makes the following Order to remove the aforesaid difficulties, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) This Order may be called the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act (Removal of Difficulties) Order, 2015.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In sub-section (3) of section 1 of the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015(22 of 2015), for the words, figures and letters "the 1st day of April, 2016", the words, figures and letters "the 1st day of July, 2015" shall be substituted.

[Notification no. 56/2015, F.No. 133/33/2015-TPL]

(Amit Katoch)

Under Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली 1 जुलाई, 2015

आदेश

का.आ. 1790 (अ).— काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (2015 का 22) (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) को राष्ट्रपति की अनुमति 26 मई, 2015 को मिल गई है;

और अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (3) में यह उपबंधित है कि अधिनियम में, जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, अधिनियम 1 अप्रैल, 2016 को प्रवृत्त होगा,

और अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति पर कर के प्रभारण का उपबंध है;

और अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन, 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले प्रत्येक निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष की अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य है;

और अधिनियम की धारा 2 के खंड (9) में यथापरिभाषित "पूर्ववर्ष" से निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्व की बारह मास की अवधि अभिप्रेत है;

और अप्रकटित विदेशी आस्ति की घोषणा से संबंधित अधिनियम की धारा 59 में किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात् किंतु केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाने वाली तारीख को या उसके पहले, भारत के बाहर अवस्थित और 1 अप्रैल, 2016 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से पूर्व के किसी निर्धारण वर्ष के लिए, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर से प्रभार्य आय से अर्जित किसी अप्रकटित आस्ति के संबंध में घोषणा किए जाने का उपबंध है;

और अधिनियम की धारा 60 में, धारा 59 के अधीन घोषित अप्रकटित विदेशी आस्ति पर अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को ऐसी आस्ति के मूल्य पर कर के प्रभारण का उपबंध है;

और संसद् द्वारा पारित अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति 26 मई, 2015 को प्राप्त हुई है, अतः इस अधिनियम के उपबंधों को, इस तथ्य को विचार में लिए बिना कि 1 अप्रैल, 2016 को प्रारंभ होने वाला निर्धारण वर्ष 1 अप्रैल, 2015 को प्रारंभ होने वाले पूर्ववर्ष से संबंधित है, 26 मई, 2015 के पूर्व प्रभावी नहीं किया जा सकता है;

"अधिनियम के प्रारंभ की तारीख" पद का निर्वचन करने में और अधिनियम की धारा 59 और धारा 60 के उपबंधों को प्रभावी करने में कठिनाई उत्पन्न हुई है, जिसका कि अर्थान्वयन 1 अप्रैल, 2016 के रूप में किया जा सकता है, जबकि अधिनियम के अधीन कर की प्रभार्यता 1

अप्रैल, 2015 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले पूर्ववर्ष से सुसंगत 1 अप्रैल, 2015 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार अधिनियम की धारा 86 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्वोक्त कठिना

यों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**-- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण (कठिना

यों का दूर किया जाना) आदेश, 2015 है ।

(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियां) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (2015 का 22) की धारा 1 की उपधारा (3) में "1 अप्रैल, 2015" अंकों और शब्दों के स्थान पर "1 जुलाई, 2015" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

[अधिसूचना सं.56/2015 फा.सं. 133/33/2015-टीपीएल]

(अमित कटोच)

अवर सचिव, भारत सरकार